UPAZ010026692026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

उपस्थितः अजय कुमार शाही, एच०जे०एस० (प्रभारी सत्र न्यायाधीश)

(JO CODE- UP 6082)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1145/2026

मनीष राय उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र विनोद राय निवासी मौजा चौकी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़। .....**आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी।**

दिनांक-25.03.2026

1. प्रस्तुत प्रथम **अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र** अंतर्गत धारा **438 दं.प्र.सं.** आवेदक/अभियुक्त **मनीष राय** की तरफ से परिवाद सं.**-3726/2020** अंतर्गत **धारा-498ए, 323, 504, 506 भा.दं.सं.** थाना-**बरदह** जनपद **आजमगढ़** के प्रकरण में अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभियुक्त द्वारा स्वयं का शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में लिखी गयी बातें उसके निजी जानकारी में सही व सच है।

3. **संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि** परिवादिनी माया राय द्वारा विपक्षीगण मनीष राय, विनोद राय, गंगोत्री राय, धर्मेन्द्र राय, सीमा राय के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। परिवादिनी द्वारा स्वयं को धारा 200 दं.प्र.सं. व साक्षीगण लल्लन राय, उमेश राय को परिवादी साक्षीगण के रूप में परीक्षित कराया गया जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण मनीष राय, विनोद राय, गंगोत्री राय को धारा 498ए, 323, 504, 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किया गया।

4. **आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि** आवेदक निर्दोष है रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक ने किसी प्रकार से दहेज की मांग नहीं की है। कथित घटना जाली व फर्जी है। परिवाद पत्र काफी सोच समझकर व काफी विलंब से कानूनी राय मशविरे के आधार पर दर्ज कराया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदक अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूरा सहयोग करेंगे। यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या मा० उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की मांग की गयी।

5. **विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को विचारण हेतु तलब किया है। आवेदक प्रकरण में

Digitally signed by AJAY KUMAR SHAHI
Date: 2026.03.25 16:50:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पति के रूप में नामित अभियुक्त है। अभियुक्त द्वारा परिवादिनी को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता है तथा गाली गुप्ता देते हुए मारा पीटा जाता है तथा जान से मारने की धमकी दी जाती है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों/ पत्रावली का परिशीलन किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से पाया जाता है कि अभियुक्त तथा परिवादिनी पति-पत्नी हैं। अभियुक्त तथा परिवादिनी के मध्य यह पारिवारिक विवाद/घरेलू मामला है जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त को जेल भेजे जाने से वैवाहिक/पारिवारिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा विवाद के और बढ़ने की प्रबल संभावना है जिससे भविष्य में सुलह-समझौता की संभावना क्षीण होगी। मामला परिवाद पत्र पर आधारित है। परिवादिनी के साथ मारपीट किये जाने के संबंध में अभिलेख पर कोई चिकित्सीय आख्या उपलब्ध नहीं है। अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे यह विदित होता हो कि अभियुक्त को जमानत दिये जाने पर उसके द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया जायेगा। संबंधित थाने द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का इस प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। अतः ऐसी दशा में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **Satender Kumar Antil Vs Central Bureau of Investigation and another, (2021) 10 SCC Onlinc SC 922 तथा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (क्रि०मि० अप्लीकेशन अं०धारा 528 बी०एन०एस०एस० नं 6400/2025** में पारित विधिक सिद्धांत के आलोक में आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **मनीष राय** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त को इस प्रकरण में संबंधित थाने के विवेचक, थानाध्यक्ष अथवा किसी भी Arresting Authority द्वारा गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने की दशा में उसके द्वारा मुबलिग **50,000/-**(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाये कि-

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा अथवा किसी अपरिहार्य परिस्थिति में जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा तथा गवाह आने पर बिना किसी स्थगन प्रतिपरीक्षा पूर्ण करेगा।

3. आवेदक/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।

4. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जायेगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक-25.03.2026 **(अजय कुमार शाही)**

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,

आजमगढ़।